राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 30/2020

जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2020/00071

दायर दिनांक—1.10.2020

निर्णय दिनांक— 24.05.2024

1. गट्टू देवी पुत्री मूलचन्द जाति कुमावत नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. कौशल्या देवी पुत्री मूलचन्द जाति कुमावत नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र लालू जाति कुमावत नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर
3. उप पंजीयक रूपनगढ़ जिला अजमेर

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 प्रार्थीगण

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति को होने की वजह से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ में कृषि भूमि खाता संख्या 1285 के ख0न0 2535/362 रकबा 0.9708 है0 व ख0न0 2554/405 रकबा 0.3316 है0 भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 पारिवारिक सदस्य है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रियां है। वाद वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज स्व0 लालू पुत्र अर्जुन जाति कुमावत के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी। स्व0 लालू प्रार्थीगण के दादाजी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पारिवारिक सजरा पैरा संख्या 4 में अंकित है। वाद वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/3—1/3 हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो रखी है। वाद वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है, इस कारण प्रार्थीगण का वादअधीन भूमि में जन्म से ही अधिकार व हिस्सा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं अपने हिस्से का बंटवारा कराने का अधिकार रखते है। वादअधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसका अभी तक बंटवारा नही हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 को कानूनन अपने 1/3 हिस्से से अधिक हिस्से का अन्तरण करने का एवं विधिवत बंटवारा किये बिना किसी अजनबी केता को वादअधीन भूमि अन्तरण करने का अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादअधीन पैतृक कृषि भूमि का अन्यत्र हस्तान्तरण, विक्रय, बन्धक, रहन करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 16.9.20 को अप्रार्थी संख्या 1 अजनबी केता को जमीन विक्रय हेतु दिखा रहा था उसी वक्त प्रार्थी मौके पर पहुंच गये एवं अप्रार्थी 1 को ऐसा करने से मना किया तो वह प्रार्थीगण के इस अधिकार को मानने से इन्कार हो कर दिया और एलानियां धमकी देने लगे कि वादअधीन भूमि उसके स्वयं के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर बैचान करके रहेगा। वादीगण की ओर से प्रार्थना है कि फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 फरमावे कि वाद वर्णित भूमि का विक्रय, दान, वसीयत, बन्धक, रहन आदि किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करे, अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत होने पर वह इसका पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 1 वादअधीन भूमि के उपयोग उपभोग में बाधाकारित नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:03:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित पैतृक कृषि भूमि है जो उनके पूर्वज स्व0 लालू से प्राप्त हुई है। लालू के मृत्युपरांत केवल मात्र अप्रार्थी 1 के नाम रिकार्ड में दर्ज हो गयी है। प्रार्थीगण भी स्व0 लालू के वंशज है जिनका वाद वर्णित भूमि 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी ग्राम रूपनगढ़ के खाता संख्या 1285 के ख0न0 2535/362 व 2554/405 की प्रतिलिपि व जमाबंदी संवत् 2050–2053 की खाता संख्या 748 प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये जिनका अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता से खातेदारी विरासत से प्राप्त हुई है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि के बैचान/अन्तरण होने से वाद बाहुल्यता की संभावना को देखते हुए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के बैचान, रहन, अन्तरण आदि नही करने व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को वादग्रस्त भूमि ग्राम रूपनगढ़ के खाता संख्या 1285 के ख0न0 2535/362 रकबा 0.9708 है0 व ख0न0 2554/405 रकबा 0.3316 है0 भूमि के पंजीयन नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.06.21 14:03:23 IST
Reason: SelfAttested